न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/14/19	22–03–2019	23–07–2019

1. मंगतुराम पुत्र धन्नालाल जाति बैरवा निवासी फैमेली स्कीम नम्बर–3 इन्दर डेयरी के पास अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1. किस्तुरी देवी पत्नी मंगतुराम बैरवा निवासी स्कीम नम्बर 3 इन्दर डेयरी के पास अलवर फैमेली लाईन।
2. कमल कुमार पुत्र मंगतुराम बैरवा निवासी स्कीम नम्बर 3 इन्दर डेयरी के पास अलवर फैमेली लाईन।

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर दिनांक 25–01–2019

उपस्थितः–

01. श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा –वकील अपीलान्ट
02. श्री ओमवीर यादव –वकील रेस्पौडेन्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा–16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर के आदेश दिनांक 25–01–2019 जिसके द्वारा 2000/– रूपये अप्रार्थी कमल कुमार प्रतिमाह प्रार्थी के बैक खाते में जमा कराने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट ने उप खण्ड मजिस्ट्रेट अलवर के समक्ष माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रार्थना पत्र पेश किया है जिस पर तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर के आदेश दिनांक 25–01–2019 जिसके द्वारा 2000/– रूपये अप्रार्थी कमल कुमार प्रतिमाह प्रार्थी के बैक खाते में जमा कराने के आदेश दिये गये है। अपीलान्ट के पास भरण–पोषण करने के लिय आय पर्याप्त साधन नहीं है। अपीलान्ट एक वृद्व व्यक्ति है और मेरी पत्नी भी उनके साथ मिलकर मुझे प्रताडित करती है मुझे घर से धक्का देकर बाहर निकाल देते है–जबकि मकान अपीलान्ट स्वयं का है। मेरा पुत्र व पुत्रवधू से दवाईयों के कहता हूँ तो मुझ से मारपीठ करते है ओर खाना–पीना नहीं देते है, और गाली गलौच करते है। अपीलान्ट ने अपने पुत्र को करीब दो वर्ष पूर्व 1,28,000/–रूपये बैक में जमा कराने के लिए दिये थे वह रूपये जमीन बेचा कर के आऐं थे। जिसमें से अपनी बेटी की शादी कर दी और कुछ पैसे जो बच गये थे वह अपने पुत्र पर विश्वास करते हुऐ जमा कराने को दिये थे। अपीलान्ट द्वारा कई बार हाथ जोडकर कहा कि आप मेरा भरण–पोषण नहीं कर सकते है तो मेरा मकान को खाली कर दो, जिससे में किराये पर देकर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

उससे अपना भरण–पोषण कर सकु परन्तु अप्रार्थी द्वारा कहा गया कि तेरा मकान बेच देगें और के साथ झगडा व मारपीट करते के लिए उतारू है। रैस्पा0 सं01 के पास स्वयं के पास का टैम्पू है जो किराये पर चलाता है जिससे मासिक आय करीब 25,000 रूपये आय अर्जित करता है। अपीलान्ट की जीवन आर्थिक संकट व भूख प्यास व बीमारी में कट रहा है। पिता का भरण–पोषण करने का दायित्व उसका भी है। तहत अदालत ने बिना अपीलान्ट की आय व खर्चे का निर्धारण किए ही 2000/–रूपये मासिक देने के आदेश दे दिये, जो गलत है। अपीलान्ट अक्सर बीमार रहता है तथा अन्य कोई रोजगार का साधन नहीं है। किन्तु तहत अदालत ने बिना तथ्यों की जॉच किए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपील अन्दर मियाद पेश की गई है, अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहत निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील रेस्पौ0 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पौ0 सं0 1 अपना व अपने परिवार का भरण–पोषण करने हेतु गंगालहरी पंसारी के यहां मजदूरी करते है, जिससे वह मात्र 3,000 रूपये की आय अर्जित करता है जिससे भरण पोषण बमुश्किल हो रहा है। रैस्पा0 सं0 2 की पत्नी भी मात्र घरेलू महिला है जो कोई कार्य नहीं करती है, तथा गुजरमल धासीराम के यहां कार्य करती है जिससे उसकी आय होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अपीलान्ट शराबी व्यक्ति है तथा शराब पीने का आदि है आये दिन शराब पीकर रैस्पा0 के साथ मारपीट व गाली गलौच करता है। अपीलान्ट ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश कर तहत अदालत से आदेश प्राप्त किया है। अपीलान्ट का कथन गलत है कि स्वयं का टैम्पू है जिससे आमदनी होती है, सर्वथा गलत है। अपीलान्ट गलत आधारों पर कोई गुजारा भत्ता दौ हजार रूपये मासिक व या 1,28,000 रूपये प्राप्त करने का अधिकारी नही है। तहत अदालत का आदेश 2,000 रूपये मासिक का आदेश कम राशि का नहीं है, तथापि अपीलान्ट उक्त राशि भी गलत आधारों पर प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क यह उठाया है कि अपीलान्ट के पास भरण–पोषण करने के लिय आय पर्याप्त साधन नहीं है। अपीलान्ट एक वृद्व व्यक्ति है और मेरी पत्नी भी उनके साथ मिलकर मुझे प्रताडित करती है मुझे घर से धक्का देकर बाहर निकाल देते है–जबकि मकान अपीलान्ट स्वयं का है। मेरा पुत्र व पुत्रवधू से दवाईयों के कहता हूॅ तो मुझ से मारपीठ करते है ओर खाना–पीना नहीं देते है, और गाली गलौच करते है। रैस्पा संख्या 1 व 2 अपीलान्ट के पुत्र एवं पत्नी है और दोनों ही अपने परिवार का भरण पोषण मजदूरी कर अपना जीवन व्यापन कर रहें है। अपीलान्ट एवं रैस्पा0 एक साथ रह रहें है। रैस्पा0 के पास ऐसा कोई आय का साधन नहीं है। जहां तक अपीलांट द्वारा उठाये गये तर्क निराधार प्रतीत होता है। अपीलांट द्वारा अपील में उठाये गये तर्क साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं होते हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज होने योग्य है।

जिला कलक्टर
अलवर (राजस्थान)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर का आदेश दिनांक 25–01–2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के

साथ तहत पत्रावली उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर को वापस भेजी जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 23–07–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर
अलवर (राज०)